

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:- प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज-1/2017/4602-4913 दिनांक 27.10.17

प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) प्रथम चरण में शामिल राज्य के 66 शहरों के लिए जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2016/347 दिनांक 08.02.2017 की निरन्तरता में 23 शहरों में निम्न प्रकार के कार्य निम्नानुसार आवंटित राशि तक करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S. N.	Town Name	DISTRICT Name	Cost (Rs in Lakhs)				
			Left over Bawaris	Face Lifting/ Beautification / Additional Provisions in Bawaris already covered	Afforestation	Contingency	Total
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Sikar	Sikar	0.00	6.70	0.00	0.34	7.04
2	Alwar	Alwar	0.00	15.61	0.00	0.78	16.39
3	Taranagar	Churu	30.43	0.00	0.00	1.52	31.95
4	Kishangarh	Ajmer	9.35	0.00	0.00	0.47	9.82
5	Bhilwara	Bhilwara	3.26	0.00	0.00	0.16	3.42
6	Kota	Kota	9.57	1.25	0.00	0.54	11.36
7	Baran	Baran	0.00	29.47	0.00	1.47	30.94
8	Jhalawar	Jhalawar	0.00	32.50	0.00	1.63	34.13
9	Sirohi	Sirohi	35.13	0.00	0.00	1.76	36.89
10	Rajsamand	Rajsamand	21.97	11.35	0.00	1.67	34.99
11	Ajmer	Ajmer	0.00	17.69	0.00	0.88	18.57
12	Kaithoon	Kota	0.00	8.44	13.93	1.12	23.49
13	Sagwara	Dungarpur	0.00	2.88	0.00	0.14	3.02
14	Banswara	Banswara	63.43	9.61	0.00	3.65	76.69
15	Sumerpur	Pali	0.00	0.00	10.83	0.54	11.37
16	Choti sadari	Pratapgarh	0.00	0.00	33.76	1.69	35.45

17	Nagaur	Nagaur	0.00	0.00	17.35	0.87	18.22
18	Abu road	Sirohi	0.00	0.00	18.09	0.90	18.99
19	Dausa	Dausa	0.00	0.00	1.80	0.09	1.89
20	Jaipur	Jaipur	0.00	0.00	12.00	0.60	12.60
21	Bhinmal	Sirohi	0.00	0.00	11.43	0.57	12.00
22	Sawai madhopur	Sawai madhopur	13.37	35.49	0.00	2.44	51.30
23	Pratapgarh	Pratapgarh	0.00	50.76	0.00	0.00	50.76
	Total		186.51	221.75	119.19	23.83	551.28

नोट:-

1. उपरोक्त कार्य आवंटित राशि तक की सीमा में ही करवाये जावें।
2. उक्त कार्यों की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेगी।
3. उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाये जाने के उपरान्त कार्य करवाये जावें।
4. कार्य के एवज में भुगतान सम्बन्धित जिला कलक्टर के अनुमोदन के बाद किया जावे।
5. कार्य करवाते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।
7. कार्यों के सम्बन्ध में समय-समय पर योजनान्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. लेफ्ट ऑवर बावडियो व पूर्व में शामिल बावडियों के कार्यों (सौन्दर्यकरण/फेस लिफ्टिंग/अन्य कार्य) हेतु अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sl
(पवन अरोड़ा)

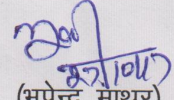
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए. फेज-1/2017/4602-4913 दिनांक : 27/10/17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।

5. हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स (HoFF), अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग।
7. जिला कलक्टर समस्त।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
9. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बंधित नगर निगम/परिषद/पालिका।
11. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ निदेशालय।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता